न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 18/2023

उनवान

1. मोहम्मद अमीन पुत्र मोहम्मद शफी
2. मोहम्मद रफी पुत्र मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नौरत,
2. गट्टु पुत्री नौरतमल,
3. जितेन्द्र पुत्र नौरतमल,
4. बरजी पत्नी नौरतमल,
5. मक्खनलाल पुत्र छोटू लाल,
6. माणकचन्द पुत्र छोटू,
7. माया पुत्री नौरतमल,
8. मिठ्ठु पुत्री नोरतमल,
9. रेखा पुत्री नोरतमल,
10. राकेश पुत्री नोरतमल,
11. राजू पुत्र नोरतमल,
12. सीमा पुत्री नोरतमल, ना.बा. जरियें माता बरजी,
13. हेमराज पुत्र छोटू जाति कुम्हार नि. दिलवाडा, नसीराबाद,
14. ग्राम पंचायत देराठू जरियें सरपंच,
15. सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नसीराबाद,
16. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 15 अनुपस्थित
16 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 1.4.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर तहसील नसीराबाद के आराजी खाता न0 195/190 खसरा नम्बर 220 रकबा 0.07 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। उक्त खसरा नम्बर 220 के पूर्व में लगती हुयी भूमि 221/1337 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 ग्राम पंचायत देराठू के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 223/1288 सिवायचक है। खसरा नम्बर 219/1336 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। 219/1336 से लगता हुआ खसरा नम्बर 219 अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्तागण द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को आवेदन पत्र दिनांक 26.6.222 को [illegible] गया। किन्तु मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 13 ने सीमाज्ञान की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न [illegible] अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावें।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया [illegible] संख्या 1 से 15 बावजुद तामील उपस्थित नही होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने [illegible] किया की प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 220 रकबा 0.07 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया किन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही नही की जा सकी। जो दिनांक 28.06.22 के मौका पर्चा से स्पष्ट है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। अप्रार्थीगण प्रकरण के खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा के पत्थरगढी के समय अपनी आपत्ति पेश की जा सकती है। पत्थरगढी से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा।

अतः ग्राम बारपत्थर तहसील नसीराबाद के आराजी हाल खसरा नम्बर 220 रकबा 0.07 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested